

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
राजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्या 354 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/502

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.11.2025	<p>प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी माणकसर 13 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 2984 दिनांक 10.11.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 व भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 125/82 की प्रति, राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 69 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, दस्तबरदारी की छायाप्रति, इन्तकाल संख्या 296 की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 125/82 में अंकित नाम राजेन्द्र पुत्र किशन के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, दस्तबरदारी की छायाप्रति, इन्तकाल संख्या 296 की प्रति में नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 13 एफ एफ के खाता संख्या 125/82 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र किशन दर्ज है। जबकि जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द जाति कम्बोज दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द है तथा पूर्व में दर्ज इन्तकाल में भी सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द ही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 125/82 में अंकित नाम राजेन्द्र पुत्र किशन के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जावता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, रूल 6-7, जान्ता दीवानी]

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

हरप्रीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्या:-354/2025

निर्णय दिनांक :- 12.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 125/82 में अंकित नाम राजेन्द्र पुत्र किशन के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक: 12.11.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/852

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)